

21/5

अधिका. अब वह उपस्थित बालों का
कमाली समय 07/07/16 का पता हो।
कमाली दिनांक 25/1/16 को पता हो।



25/16

अधिका. अब वह उपस्थित बालों का
कमाली समय 07/07/16 का पता हो।
कमाली दिनांक 25/4/16 को पता हो।



25/16

अधिका. अब वह उपस्थित बालों का
कमाली समय 07/07/16 का पता हो।
कमाली दिनांक 25/4/16 को पता हो।



01.08.16

कमाली सेवा हुई। उभयपक्षों के अद्वैत द्वारा दि
शुद्धता से सम्बन्धित मूल वाद नष्ट नहीं किया। द्वारा निर्दिष्ट
दिनांक आ-पुनः हैं, जिसकी अपील सं. 58/15 अदालत द्वारा
में विचारार्थ हैं, जिसमें आगामी-वेब. 30.08.16 दिनांक
है। अतः धारा 212 एा एा की यह अपील प्रभावहीन हो
जाने से न्यायाधीश की आहे।

हमने अपील संख्या 58/15 अद्वैत

असफल बनाम दयानन्द लाल का उक्त अवलोकन
दिया। उक्त अपील का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता
है कि शुद्धता से सम्बन्धित मूल वाद का निर्णय नष्ट
न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.15 को किया जा-पुनः है।


CONT. . .

30-1-09

512

दयानन्द व/रु असक्त

यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर [राज०]

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
	<p>चूंकि झूल वाद का निर्णय हो चुका है, तथा मौजूदा अपील धारा 212 RTAET से विकल्प वेवा की गइर यह अपील इन्फ्रिंक्चर (प्रभाषलीन) हो चुकी है। सिधजा अपील प्रभाषलीन होने से कारण रबासिज की जाती है। फलावली फूलल शुभार होकर म्बर से मुस की जाकर बाद नरुमील जाका दारिकल वफतार हो।</p> <p style="text-align: right;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर </p>